क्रम संख्या–14

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था करने का–

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।